और पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट जैसे किसी अन्य विशेष अधिनियम के तहत नहीं। जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, नगर सुधार अधिनियम का खंड 59 न्यायाधिकरण के फ़ैसले को अंतिम बनाती है, क्योंकि अधिनियम में अपील के लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं दिया गया है। उपमा के आधार पर अपील का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है।अपील हमेशा से एक वैधानिक अधिकार रहा है।मेरा मानना है कि अपील विचारणीय नहीं है और अपील को अस्वीकार करता हूं।

(6) अपीलार्थियों के वकील के अनुरोध पर, यह आदेश दिया जाता है कि भुगतान की गई अदालत की फीस वापस की जाए।

जे एस टी।

माननीय एन. के. सोधी, न्यायाधीश

धर्म सिंह और अन्य- याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-

प्रतिवादी

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 2447

31अक्टूबर, 1991

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226/227-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है)-खंड 7-13ए का प्रावधान-निष्कासन कार्यवाही-याचिकाकर्ता ने सहायक कलेक्टर के समक्ष निष्कासन कार्यवाही में स्वामित्व का सवाल उठाया-शीर्षक का फैसला नहीं किया गया और निष्कासन का आदेश दिया गया,-विवादित आदेशों के माध्यम से-यह माना गया कि सहायक कलेक्टर पर यह दायित्व है कि वह खंड 13-ए के तहत खुद को न्यायाधिकरण में परिवर्तित करे और पहले स्वामित्व के सवाल का

फैसला करे-विवादित आदेशों को दरकिनार कर दे।

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की खंड 7 का प्रावधान बहुत स्पष्ट है।संक्षिप्त में खंड 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई।कथित रूप से अनधिकृत क़ब्ज़े से किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए अधिनियम में, बाद वाले के लिए स्वामित्व का प्रश्न उठाने के लिए खुला है और यदि वह वही प्राथमिक दृष्टिकोण से सिद्ध करता है तो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के पास पहले अधिनियम की खंड 13-ए के तहत खुद को न्यायाधिकरण में परिवर्तित करके उस अधिकार के प्रश्न का निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(पैरा 4)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल खेतरपाल।

एच. एस. संघा वरिष्ठ अधिवक्ता अमरजीत सिंह के साथ, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए अधिवक्ता

सी. एल. शर्मा, हरियाणा राज्य के अधिवक्ता

निर्णय

एन. के. सोधी, जे.

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र जिले के गांव किशनगढ़, तहसील थानेसर के निवासी हैं और इस गांव में अपने कब्जे वाली भूमि के मालिक होने का दावा करते हैं।ग्राम पंचायत, किशनगढ़, प्रतिवादी संख्या 3 ने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी कुरुक्षेत्र के समक्ष पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है और जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) की खंड 7 के तहत याचिकाकर्ताओं को बाहर निकालने के लिए एक आवेदन दायर किया क्योंकि ग्राम पंचायत के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के पास उस भूमि का गलत/अनधिकृत कब्जा था जो गांव की शामलत देह थी और जो अधिनियम के तहत पंचायत में निहित थी। निष्कासन याचिका के नोटिस की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ताओं ने 24 मई, 1990 को अपना जवाब दायर किया और आवेदन की स्थिरता के संबंध में विभिन्न आपत्तियां लीं।उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि उन्होंने वर्ष 1947 में गाँव में भूमि खरीदी थी और वर्ष 19 बी 2-53 में समेकन कार्यवाही के दौरान गाँव में रहने के लिए 12 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी, जिसे भूमि-मालिकों से उनके शेयरों के अनुसार लिया गया था।याचिकाकर्ताओं की दलील है कि वे गाँव में बड़े भू-स्वामी थे और

उनके शेयरों के अनुसार, 16 कनाल भूमि की कटौती की गई थी जो अबादी देह में शामिल थी।यह दावा भी किया गया था कि जो क्षेत्र फिर प्रार्थियों के पास छोड़ा गया था, वह गांव के आबादी के समीप था, जिस पर पंचायत ने समेकन की वैधानिक योजना के अनुसार एक अस्पताल, गुरुद्वारा और एक स्कूल का निर्माण किया था।कहा जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त भूमि के बदले, अबादी में 16 कनाल भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें से एक सड़क बनाई गई थी और उन्हें 15 कनाल भूमि दी गई थी, जिसके बदले वे अब आत्यन्तिक मालिक हैं।इस आधार पर, ग्राम पंचायत के दावे का विरोध किया गया और याचिकाकर्ताओं ने सह-हिस्सेदार के रूप में अबादी में भूमि के कब्जे का दावा किया और यह अनुरोध किया कि अधिनियम की खंड 7 के तहत आवेदन विचारणीय नहीं था और खारिज किए जाने के योग्य था।यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपने मामले के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1983-84 के लिए समेकन योजना, जमाबंदी की एक प्रति प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्हें विनिमय के कारण कब्जे में दिखाया गया था और वही कब्जा वर्ष 1988-89 के लिए बाद की जमाबंदी में परिलक्षित हुआ था।

(2) याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई याचिकाओं को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का समर्थन नहीं मिला, जिन्होंने कहा कि पंचायत

में निहित राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि विवाद में है।ग्राम पंचायत की ओर से इस तर्क को स्वीकार कर लिया गया कि इसमें स्वामित्व का कोई सवाल ही नहीं है।याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 1981 के हरियाणा अधिनियम 2 द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की खंड 7 के परंतुक को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने निष्कासन के लिए याचिका के बचाव में स्वामित्व का सवाल उठाया था और प्रथमदृष्टया वही साबित किया था और इसलिए, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को अधिनियम की खंड 13-ए के तहत उस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर, कुरुक्षेत्र के समक्ष एक अपील दायर की, जिन्होंने 24 जनवरी, 1991 के अपने आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया।वर्तमान रिट याचिका में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेश के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा पारित अपीलीय आदेश पर भी आपत्ति जताई गई है।

(3) रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष दायर लिखित बयान में स्वामित्व का सवाल उठाया था, इसलिए अधिनियम की खंड 13-ए के तहत खुद को एक न्यायाधिकरण में परिवर्तित करना उनका दायित्व था और उन्हें अधिनियम की खंड 7 के

तहत ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से पहले स्वामित्व के सवाल का फैसला करना चाहिए था। दूसरी ओर, ग्राम पंचायत के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मालिक नहीं थे और उन्होंने अपनी याचिका का समर्थन करने के लिए प्रथमदृष्टया रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया।प्रतिवादी के अधिवक्ता के अनुसार, यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिमय के माध्यम से स्वामित्व का अनुरोध किया जा रहा था, तो उसे कहीं पंजीकृत किया गया होगा और निष्पादित विनिमय विलेख को उनके मामले को साबित करने के लिए पेश किया जा सकता था।पुनः, अधिकारों के अभिलेख में कुछ परिवर्तन दर्ज किए गए होंगे जिनसे यह पता चल सकता था कि याचिकाकर्ता विनिमय के माध्यम से मालिक थे, लेकिन 'अभिलेख' पर इस तरह का कुछ भी नहीं रखा गया था, इस प्रकार स्वामित्व का प्रश्न नहीं उठाया गया था और प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं हो सका था कि अधिनियम की खंड 13-ए के तहत सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा निर्णय लिया गया था।

(4) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और प्रतिवादी के वकील से सहमत होने में असमर्थ हूं।अधिनियम की खंड 7 का प्रावधान बहुत स्पष्ट है।कथित रूप से अनधिकृत कब्जे में किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए

अधिनियम की खंड 7 के तहत शुरू की जाने वाली संक्षिप्त कार्यवाही में, बाद वाले व्यक्ति के लिए स्वामित्व का सवाल उठाना खुला है और यदि वह इसे प्रथमदृष्टया से साबित करता है, तो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के पास अधिनियम की खंड 13-ए के तहत खुद को न्यायाधिकरण में परिवर्तित करके स्वामित्व के उस प्रश्न का निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तत्काल, मामले में, याचिकाकर्ताओं ने समेकन की वैधानिक योजना (अनुलग्नक पी 5 के साथ रिट याचिका)प्रस्तुत की थी।

जो भूमि के कुछ आदान-प्रदान की भी बात करती है और वर्ष 1983-1984 और 1988-1989 की जामबंदियों से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के पास विनिमय के कारण भूमि का कब्जा है।यह सच है कि याचिकाकर्ताओं को जामबंदियों में मालिकों के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन प्राथमिक दृष्टिकोण से उन्होंने स्वामित्व का सवाल उठाया है और मेरी राय में, सहायक कलेक्टर अधिनियम के खंड 13-ए के तहत इस तरह की याचिका का निपटारा नहीं करना उचित नहीं था। उस स्तर पर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को केवल प्रथमदृष्टया संतुष्ट किया जाना है और अधिनियम के खंड 13-ए के तहत खुद को न्यायाधिकरण में परिवर्तित करने के बाद ही पक्ष अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।यदि याचिकाकर्ता

अपना हक साबित करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अनधिकृत अधिभोगियों के रूप में विवादित भूमि से बाहर निकाल दिया जाएगा।यदि, दूसरी ओर, वे अपने स्वामित्व को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने अभी दावा किया है, तो ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका को खारिज करना होगा।मेरी राय में, वर्तमान मामले में न केवल अधिकार का सवाल उठाया गया था, बल्कि प्रथमदृष्टया से भी साबित हुआ था ताकि अधिनियम की खंड 13-ए के तहत निर्णय की आवश्यकता हो। मामले के इस दृष्टिकोण में, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी और अपील में कलेक्टर द्वारा पारित किए गए विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।अधिनियम की खंड 13-ए के प्रावधानों के संदर्भ में स्वामित्व के प्रश्न का पहले निपटारा करने के निर्देश के साथ मामले को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र को भेज दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें जो कुछ भी कहा गया है वह मामले के गुण-दोष के प्रति मेरे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है और सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को उन साक्ष्यों के आधार पर इस मुद्दे का फैसला करना होगा जो पक्षकारों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं।नतीजतन, रिट याचिका को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।पक्षकारों को अपने वकील द्वारा से आगे की कार्यवाही के लिए 18 नवंबर, 1991 को सहायक कलेक्टर प्रथम

श्रेणी कुरुक्षेत्र के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

जे. एस. टी. '

माननीय ए. एल. बहरी और एन. के. कपूर, न्यायाधीश.

बाबू राम अग्रवाल,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा सरकार और अन्य लोगों के लिए आयोग और सचिव-

उत्तरदाता।

1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 15057

6जनवरी, 1994

भारत का संविधान 1950-कला।226/227–हरियाणा नगरपालिका अधिनियम धारा 21 और 27-अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा